

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक/डीएमएफ/अस्थायी नियुक्ति/2024-25 6062

बिलासपुर दिनांक...1...7...24

"अस्थायी भर्ती विज्ञापन"

जिला खनिज न्यास निधि अंतर्गत वर्ष 2024-25 में प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार स्वास्थ्य विभाग, जिला बिलासपुर छ.ग. के अंतर्गत लैब टैक्नीशियन पदो हेतु इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर छ.ग. के नाम से दिनांक 16.07.2024 को सांय 05:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। "सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी"।

S.N.	Post Name	Salary	Vacant	Vacant Post Roster				Qualification
				UR	ST	SC	OBC	
1	Laboratory Technicians	14000	18	9	3	3	3	BMLT/DMLT course with Registration in Paramedical Council. OR Paramedical course passed in Pathology with Registration in Paramedical Council.

विज्ञापन नियम एवं शर्त:-

- उपरोक्त पदो पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें एवं मूल प्रमाण पत्र साथ में लावे।
- विज्ञापित पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें व दिशानिर्देश जिले की वेबसाइट <http://bilaspur.gov.in> में देखी व डाउनलोड की जा सकेगी। विज्ञापन से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारी समय-समय पर जिले के वेबसाइट के माध्यम से ही दी जावेगी। अभ्यर्थी निरंतर जिले की वेबसाइट www.bilaspur.gov.in का अवलोकन करते रहें। अन्य किसी माध्यम से कोई जानकारी आवेदक को व्यक्तिगत प्रेषित नहीं की जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी।
- लिफाफा में आवेदित पदनाम सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।
- संविदा भर्ती के लिये न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष हेतु होगी। आयु की गणना अनुबंध वर्ष के दिनांक 01 जनवरी 2024 अनुसार की जावेगी।
- सभी पद पूर्णतः संविदा है, जो कि संविदा भर्ती के संदर्भ में आरक्षण ("सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी") व राज्य संविदा भर्ती नियमानुसार के अनुसार लागू होंगे। विज्ञापित पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें व दिशानिर्देश जिले की वेबसाइट <http://bilaspur.gov.in> में देखी व डाउनलोड की जा सकेगी। शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।
- मानदेय:- अस्थायी सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
- निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/स्कूटनी कर प्राप्त अभ्यर्थियों की वरीयता कम सूची बनाई जायेगी एवं निम्नानुसार पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों का लिखित अथवा कौशल परीक्षा लिया जावेगा:

क्र.	कुल विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या	लिखित/कौशल परीक्षा लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदो का 5 गुना

1.8 चयन प्रक्रिया:-

कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/मेरिट प्रक्रिया-

- I. पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित वांछित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लिया जायेगा।
 - II. वांछित शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65 प्रतिशत योग लिया जायेगा। कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा हेतु 20 अंक/प्रतिशत तथा अनुभव हेतु 10/15 (अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये एन.एच.एम. मे कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 03 अंक) अन्य अभ्यर्थी हेतु अधिकतम 10 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 02 अंक)।
 - III. अर्थ्यार्थियों को लिखित/कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंको (20 अंक) का 30 प्रतिशत अंक (6 अंक) अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जायेगा।
 - IV. ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति का है उनको ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था/विद्यालय से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक/चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 1.9 चयनित होने पर उपस्थिति के समय निम्न अभिलेखों की मूल प्रति एवं 1 सेट छायाप्रति के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होने पर चयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

- 10 वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची/जन्म प्रमाण पत्र।
- 12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची।
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परीक्षा के समस्त सेमेस्टर/वर्षों की अंकसूची।
- संबंधित डिग्री/डिप्लोमा।
- संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति/जाति सत्यापन प्रमाण पत्र। (स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे)
- छत्तीसगढ़ राज्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र (मेडिकल बोर्ड द्वारा) जीवित।
- अनुभव प्रमाण पत्र - समस्त पदों के चयन में केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय/अर्धशासकीय पदों पर पद से संबंधित नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा जारी कार्य अनुभव ही मान्य किया जायेगा। जिसके लिये प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारियों को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक (अधिकतम 15 अंक) अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेंगे।
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी. ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

1.10 विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं (मूल दस्तावेज) पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा।

1.11 दावा आपत्ति हेतु जारी सूची पर आवेदकों द्वारा एक निर्धारित समय अवधि तक ही दावा आपत्ति मान्य या स्वीकार किया जायेगा। दावा आपत्ति में केवल टंकन त्रुटि ही मान्य होगा। आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा।

- 1.12 आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। प्रदेश के सभी अभ्यर्थी को समान अवसर प्राप्त होंगे। मूल निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य राज्य के निवासियों को अवसर दिया जाएगा।
- 1.13 छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जायेगा।
- 1.14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था से नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 1.15 कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को अपने साथ पहचान पत्र आवश्यक रूप से लाना होगा।
- 1.16 उपरोक्त अस्थायी भर्ती अवधि 365 दिनों तक के लिए होगी। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे।
- 1.17 उक्त पदों की पुनः प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के स्थिति में वार्षिक कार्य आधारित मुल्यांकन में योग्य पाये जाने पर कार्य अवधि बढ़ाया जा सकेगा।
- 1.18 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त की गयी है चाहे वह किसी भी पद पर रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की संज्ञा में रखा जावेगा।
- 1.19 चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को 50 रूपये का अनुबंध पत्र (बॉण्ड) भरना अनिवार्य होगा।
- 1.20 विज्ञापित पदों की संख्या में बैकलॉग पद शामिल हैं।
- 1.21 उक्त पदों के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा भी जारी किया जायेगा, जिसकी वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी एक वर्ष तक के लिए वैध रहेगी, इस दौरान पद रिक्तता की स्थिति में उक्त प्रतीक्षा सूची से पदपूर्ति की जा सकेगी। प्रतीक्षा चयन सूची हेतु कुल 25 पदों तक 200 प्रतिशत 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत तथा 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।
- 1.22 उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होंगे तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना एवं मुख्यालय निवास करना अनिवार्य होगा।
- 1.23 दावा-आपत्ति, मेरिट सूची एवं चयनित उम्मीदवारों की सूची आदि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट <http://bilaspur.gov.in> पर देखी जा सकेगी एवं अन्य किसी माध्यम से पृथक से कोई सूचना नहीं दिया जायेगा।
- 1.24 योग्य उम्मीदवार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।
- 1.25 दिव्यांग आवेदकों को चिकित्सा प्राधिकारी जिला मेडिकल बोर्ड से प्राप्त स्थाई जीवित प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों।
- 1.26 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार का दबाव डाला या डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।
- 1.27 कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 1.28 अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे तथा लिफाफे के ऊपर पदनाम का उल्लेख किया जाना होगा।
- 1.29 उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर अंतिम निर्णय कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला बिलासपुर छ.ग. का होगा।


 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 जिला-बिलासपुर छ.ग.

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

स्व
हस्ताक्षरित
पासपोर्ट
साईज फोटो

आपका विज्ञापन दिनांक में विज्ञापित पद (पद का नाम).....
के लिये मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :
- आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. माता का नाम :
4. (अ) जन्म तिथि (अंको में) : वर्ष..... माह..... दिनांक
- (ब) आयु 1 जनवरी 2024 की स्थिति में : वर्ष..... माह..... दिन.....
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. जाति (सामान्य./अजा/अ.ज.जा/अ.पि.व.) :
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. लिंग (पुरुष/महिला अन्य) :
7. छ.ग. के मूल स्थानीय निवासी है या नहीं :
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. क्या आप दिव्यांग श्रेणी के हैं :
- 8.1 दिव्यांगता का प्रतिशत एवं प्रकार :
- 8.2 भूतपूर्व सैनिक हों/नहीं :
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. स्थायी निवास का पता :
- :
- :
- :
10. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :
- :
- :
- मोबाईल नं.:
- दूरभाष नं.
- ई-मेल आई.डी.

क्रमशः

२५

11. शैक्षणिक योग्यता :- वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावे।
शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत/अधूरा भरा जाने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा।

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा का प्राप्तांक	प्रतिशत

12. अनुभव:- पद अनुसार चाही गयी वांछित अनुभव का ही विवरण भरा जावे।
निजी संस्था या अपूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा।

क्र.	संस्थान का नाम	पदनाम	कुल अनुभव	कार्य विवरण

13. क्या आप विवाहित है। (हाँ/नही)

14. संलग्न स्वप्रमाणित प्रमाणपत्रों की सूची व संख्या :-

1. दसवी एवं बारहवी की अंकसूची
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी सेमेस्टर/वर्षों का)
3. भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र
4. संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाणपत्र
5. जाति प्रमाण पत्र स्थायी/सत्यापित
6. दिव्यांग प्रमाण पत्र जीवित
7. मूल निवास प्रमाण पत्र
8. अनुभव/अन्य

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएंगे।

स्थान :-

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम.....

पूर्ण पता.....

Pfor